ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता

(छ.ग. राज्य के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती सुनीता अग्रवाल

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र

संत गुरू घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर, महाविघालय,

कुरूद, जिला– धमतरी (छ.ग.)

सारांश– स्वतंत्रता के बाद देश में नयी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई और महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार मिलें। मध्य काल व ब्रिटिश काल में कुछ महिलाओ के उदाहरण मिलते हैं जो राजनीति में सक्रिय थी किंतु ये सभी उदाहरण उच्च कुलीन राजवंश की महिलाओं से संबंधित हैं। सामान्य महिलाओं को कितना राजनीतिक अधिकार प्राप्त था इसका उल्लेख कहीं प्राप्त नही होता। छग में भी उच्च वर्ग की महिलाओं की स्थिति निम्न वर्ग व जाति की महिलाओं से बेहतर रही हैं। प्रस्तुत शोध पत्र छग की ग्रामीण अनुसूचित जाति की महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता के आंकलन पर केन्द्रित हैं।

शब्द कुंजी– अनुसूचित जाति, महिला, राजनैतिक जागरूकता।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः

श्रीमती सुनीता अग्रवाल,

ग्रामीण अनुसूचित जातियों की महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता,

शोध मंथन, दिस0 2017,
पेज सं0 18.25
Artcile No. 4 (SM 464)

http://anubooks.com/?page_id=581

प्रस्तावना–

प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त था किंतु प्राचीन काल में भी महिलाओं की प्रस्थिति से संबंधित दो विचार परिलक्षित होतें हैं। एक मत के अनुसार महिलायें पृथ्वी पर समस्त गुणों का प्रतीक मानीं गईं। महाभारत काल में महिलाएँ न केवल गष्हस्थ जीवन वरन् सामाजिक संगठनों में भी केन्द्र बिंदु का कार्य करतीं थीं। दूसरे मतानुसार सभ्यता के प्रारंभिक युगों में महिलायें वासनापूर्ति का साधन व गुलाम के समान थीं।

भारत में प्राचीन काल से राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता का उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल के तात्कालीन राजनीतिक संगठन 'विद्थ' में पुरूषों के साथ महिलाओं की भी समान भागीदारी थी।''[1] साथ ही नगर की सभा और समितियों में भी महिलाओं की सहभागिता होती थी। संक्षेप में कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल में महिलाएँ अपनें सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों का उपयोग करते हुए पूर्ण रूप से गष्ह स्वामिनी थीं। उत्तर वैदिक काल में उसके अधिकार अत्यंत सीमित हो गए और वह केवल पत्नीत्व और मातष्त्व तक सिमट कर रह गई।

महाकाव्य काल में महिलाओं की स्थिति में और भी गिरावट देखने को मिलती है। सती प्रथा, बहुपतीत्व, बहुपत्नि प्रथा जैसी परंपराओं का उल्लेख महाभारत मे ंमिलता है। मनु स्मषति के अनुसार स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मनु स्मषतिकाल के दौरान जब महिलाओं का जीवन अंधकार मय था तब महावीर और बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ जो ब्राह्मणकारी परंपराओं के विरूद्ध लोगों को जागृत करने के प्रयासों में लगे हुए थे। बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ का द्वार खोल दिया। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म प्रचारिका के रूप में श्रीलंका की यात्रा की और स्त्रियों से संबधित सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में कार्य किया।

गुप्तकाल में चन्द्रगुप्त प्रथम की पत्नी जो लिच्छवि वंश की राजकुमारी थी प्रथम प्राचीन भारतीय नारी थी जिसका नाम उसके पितष्कुल सहित स्वर्ण मुद्रा पर अंकित पाया जाता है । पूर्व मध्यकाल में उड़ीसा में भूमकार रानियों का उल्लेख मिलता है जिन्होने लगातार 50 वर्षो तक उड़ीसा पर कुशलतापूर्वक शासन किया। कश्मीर की रानी दिद्दा ने भी 23 वर्षों तक सशक्त शासन किया।

''शासन एवं राज्य व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी संबंधी ये सभी उदाहरण उच्च कुलीन राजवंश की महिलाओं से संबंधित है। मुगलकाल में स्त्रियों की उन्नति का मार्ग प्रबल नहीं था किंतु फिर भी मुस्लिम युग में कुछ महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ''इसी काल में पन्ना धाय जैसी दलित महिला ने अपने पुत्र की कुर्बानी देकर मेवाड़ राज्य की रक्षा की।''[2]

ब्रिटिश काल के उत्तरार्ध से भारत की नारियों का राजनीतिक जीवन प्रारंभ हो चुका था। लेकिन वास्तविक सहभागिता 20वीं शताब्दी से माना जाता हैं। भारत सरकार ने अधिनियम 1919 में महिलाओं को प्रजातांत्रिक स्तर में मताधिकार का अधिकार दिया। सन् 1935 में केन्द्रीय व्यवस्थापिकाओं में भी महिलाओं को मताधिकार मिला। इसी समय अनेक महिला मंडल बनाये गए, जिन्होने महिलाओं के अंदर राजनीतिक अधिकार की चेतना जगायी।

स्वतंत्रता के बाद देश में एक नयी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। स्वतंत्र भारत में महिलाओं को पुरूषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले। जिससे लोक सभा व राज्य सभा में उनकी भागीदारी बढ़ती गयी।

छत्तीसगढ़ के सोनाखान में 1856 से ही क्रांति की चिंगारी चल उठी थी। 1929 से 1930 में भी देश के अन्य भागों की भांति नमक सत्याग्रह आदि का अनुकरण करते हुए आंदोलन हुआ। उसी आंदोलन में कई महिलाओं ने भी भाग लिया व जेल गईं – जिनमें मंटोरा बाई, मुक्ति बाई, पुतौनिया बाई, केजा बाई प्रमुख थीं।इस तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलायें विशेष रूप से शामिल हुई एवं सफलता प्राप्त करती रहीं हैं। प्रारंभ में छत्तीसगढ़ राज्य के राज परिवार की महिलायें ही राजनीति में सक्रिय थीं। लेकिन बादमें सामान्य वर्ग की महिलायें भी राजनीति में सक्रिय होतीं गयीं। अविभाजित मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संसद में पहुँचने वाली पहली महिला संसद सदस्य मिनीमाता थी। बाद में रजनीगंधा, कु.पुष्पा देवी सिंग, रानी केशर कुमारी, श्याम कुमारी देवी, सुश्री प्रभा देवी, श्रीमती पदमावती देवी राजनीति में सकिय रही। इनमें मिनीमाता ऐसी सांसद रही जिन्होने गरीबो, दलितो व निःसहाय लोगों के लिए कार्य किया और उन्हे महिलाओं व अनुसूचित जातियों की समितियों में काम करने का अवसर भी मिला।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद श्रीमती रेणुका सिंह, कामदा जोल्हे, श्रीमती पिंकी शाह, श्रीमती लता उसेण्डी, श्रीमती रमशीला साहू, डॉ. रेणु जोगी, सुश्री सरोज पाण्डे आदि ने छत्तीसगढ़ राज्य की राजनैतिक दायित्वों को सम्भालकर यह साबित किया कि वे राजनीतिक जीवन में भी प्रभावशील भूमिका निभा सकती हैं। स्थानीय स्वशासन में 73 वे एवं 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा भी बड़ी संख्या में महिलायें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

छत्तीसगढ़ की विधायिका में राज्यसभा की 5 सीट हैं, लोकसभा की 11 सीट, अनुसुचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 आरक्षित एवं 6 अनारक्षित हैं। विधानसभा की 90 सीट हैं, 10 अनुसूचित जाति एवं 29 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं एवं 51 सीट अनारक्षित हैं।

छत्तीसगढ में पंचायती राज अधिनियम के तहत् 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप महिलाओ व कमजोर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के नेतष्त्व का अवसर प्रदान करने तथा उन्हें सक्रिय राजनीति से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान में प्रदेश में 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायतें एवं 10,971 ग्राम पंचायत स्थापित हैं।''[3]

रायपुर जिला में ग्राम पंचायतो की प्रवर्गवार आरक्षण विवरण तालिका क्रमांक 1 मे प्रदर्शित है :–

तालिका क्रमांक–1

ग्राम पंचायत का प्रवर्गवार आरक्षण विवरण

क्रं.	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल वार्ड	अ.जा.		अ.ज.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
				महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	धरसीवा	78	1234	121	91	37	11	178	120	356	320
2	तिल्दा	99	1369	154	106	30	9	209	140	387	334
3	अभनपुर	91	1408	145	114	68	20	187	127	394	353
4	आरंग	140	2082	314	257	56	14	252	174	539	476
	योग	408	6093	734	568	191	54	826	561	1676	1483

स्त्रोत :- रायपुर जिला पंचायत कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अध्ययन का उदेश्य – छग के ग्रामीण अंचल में निवासरत अनुसूचित जाति की महिलाओ के राजनैतिक जागरूकता की वास्तविक स्थिति को जानना ही प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य हैं।

अध्ययन का क्षेत्र– छग राज्य के रायपुर जिलो के 4 विकास खंडो के 4 ग्राम अध्ययन क्षेत्र हैं। रायपुर जिले मे वर्तमान में चार विकासखंड धरसीवा, आरंग, अभनपुर व तिल्दा शामिल हैं। रायपुर जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 4063872 हैं। जिनमें पुरूष 2048186 व महिला 2015686 हैं। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 724250 हैं। जिनमें पुरूष 362284 व महिला 361966 हैं। साक्षरों की कुल जनसंख्या 2629749 हैं। जिनमें पुरूष 1493158 व महिला साक्षरता दर 1136591 हैं। चारों विकासखंड के अनुसूचित जाति बहुल एक– एक ग्रामों का चयन अध्ययन हेतु किया गया हैं।

अध्ययन पद्वति – प्रस्तुत अध्ययन मे आंकड़े मुख्यतः प्राथमिक स्त्रोत से एकत्रित किए गए हैं अनुसूचित जाति के चयनित परिवार की महिला मुख्या से प्रत्यक्ष संपर्क कर साक्षत्कार अनुसूची के माध्यम से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया हैं राजनितिक जागरूकता की स्थिति को स्पष्ट करने हेतु द्वितीयक स्त्रोत का भी उपयोग किया गया हैं।

अध्ययन का विश्लेषण – अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओ से प्राप्त जानकारी को सारणीकष्त कर उसका प्रतिशत निकाल कर उसका विश्लेषण किया गया हैं।

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता

भारतीय-प्रजातंत्र में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता दिनोदिन बढ़ती जा रही है इस क्षेत्र में लंबे समय से पुरूषों का वर्चस्व कायम रहा है। राजनीतिक दल महिलाओं के लिए निश्चित सीट निध ार्रित कर रही है। जिससे महिलायें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अध्ययनगत ग्रामों की महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता की स्थिति का पता लगाने यह ज्ञात किया गया कि उनकी राय में महिलाओं की राजनीति में सहभागिता होनी चाहिए या नहीं। जिसे तालिका क्रमांक 2 में प्रस्तुत किया जा रहा है –

तालिका क्रमांक–2

महिलाओं की राजनीति में सहभागिता के संबंध में राय

क्रं.	सहभागिता संबंधी राय	ग्राम					
			छछानपैरी		दोदेखुर्द	अमसेना	टण्डवा	कुल योग
		आवृति प्रतिशत	आवृति प्रतिशत	आवृति प्रतिशत	आवृति प्रतिशत	आवृति प्रतिशत		
1.	हाँ	8694.50	7290.00	4187.23	7692.69	27591.67		
2.	नही	055.50	0810.00	0612.77	0.67.31	258.33		
	योग	91100.00	80100.00		47100.00	82100.00	300100.00	

तालिका से स्पष्ट है कि 91.67 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए अध्ययनगत ग्रामों के तीन चौथाई से अधिक लोगों ने महिलाओं की राजनीति में सहभागिता का समर्थन किया। केवल 8.33 प्रतिशत ऐसी महिलाएँ हैं जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाती हैं।

महिलाओं द्वारा मताधिकार का उपयोग

स्वतंत्र भारत में जब वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, तब भारतीय इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में स्त्रियों व पुरूषों ने राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी की। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में मतदान के प्रति महिलाओं में उल्लेखनीय उत्साह देखने को मिलता है। मतदान के दिन गांवों में अपूर्व उल्लास देखने को मिलता है। ग्राम्य-जन इस दिवस को 'चुनाव तिहार' भी कहते हैं। अध्ययनगत उत्तरदाताओं में से सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उत्तरदाताओं का 100 प्रतिशत मतदान का प्रयोग करना यह बताता है कि वे मतदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं व मतदान के प्रति उनमें जागरूकता भी आयी है।

नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर (2001) ने कहा कि ''ऐसे प्रमाण प्रगट होते हैं कि बहुधा शिक्षित महिला मतदान के लिए उदासीन होतीं हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र की अशिक्षित महिला मतदान के लिए असाधारण उत्साह को दिखाती हैं।''[4]

पंचायती राज व्यवस्था से महिला भागीदारी में वषंद्धि का कारण

73 वें संविधान संशोधन से प्राप्त आरक्षण के कारण पंचायत के पदों पर पहुँच, महिलाएॅं पंचायती राज व्यवस्था में अपनी भागीदारी को बढ़ा रही है। पहले उच्च वर्ग की महिलाएँ ही अपने परिवार से जुड़कर राजनीति में आतीं थीं किंतु वर्तमान में सामान्य वर्ग की महिलायें ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाएँ भी अब आगे आ रहीं हैं।

तालिका क्रमांक 3 में पंचायती राज व्यवस्था से महिला भागीदारी में वषंद्धि का क्या कारण हैं ? इसे ज्ञात किया गया। उनकी राय के आधार पर उसे विश्लेषित कर सारणी में प्रस्तुत किया गया है :–

तालिका क्रमांक–3

पंचायती राज व्यवस्था से महिला भागीदारी में वषंद्धि

क्रं. भागीदारी में वषंद्धि का कारण

ग्राम कुल योग आवषति प्रतिशत

		छछानपैरी आवृति प्रतिशत	दोदेखुर्द आवषति प्रतिशत	अमसेना	टण्डवा आवषति प्रतिशत	आवषति प्रतिशत
1.	आरक्षण का फायदा	8087.90	5366.25	4187.23	7490.24	24882.67
2.	पुरूषों का प्रभाव कम	022.20 1215.00	048.51	033.66	217.00	
3.	राजनीतिक पद की प्राप्ति	099.90 1518.75	024.26	056.10	3110.33	
योग	91100.00	80100.00	47100.00	82100.00	300100.00	

उपरोक्त तालिका से ज्ञात हो रहा है कि 82.67 प्रतिशत महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि पंचायती राज में महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कारण ही उनकी भागीदारी इस क्षेत्र में बढ़ी है, 10.33 प्रतिशत ने कहा कि वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में अब महिलाओं को भी राजनीतिक पद प्राप्त होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ 7.00 प्रतिशत ने कहा कि पंचायत में महिला भागीदारी में वषंद्धि से पुरूषों का वर्चस्व अब कम हो रहा है।

अध्ययन से पता चला कि पंचायत में महिला भागीदारी के बढ़ने से जहाँ राजनीति पुरूषों का अधिकार क्षेत्र था वहाँ अब महिलायें भी अपना प्रभाव धीरे-धीरे दिखाने लगीं हैं। राजनीतिक प्रस्थिति में वर्षद्धि से उसकी सामाजिक प्रस्थिति भी प्रभावित हो रही है।

आरक्षण से परिवर्तन के लाभ का स्तर

ग्राम पंचायतों में आरक्षण के फलस्वरूप चयनित महिला जनप्रतिनिधियों को अब बाह्य परिवेश का ज्ञान होने लगा है। बार-बार सभाओं व बैठकों में शामिल होने के कारण उनका संकोच कम हो रहा है और अब वे अपनी बातें भी रखने लगीं हैं।

आरक्षण से परिवर्तन तो आया किंतु परिवर्तन से लाभ का स्तर कितना है ? इसे महिलाओं से ज्ञात किया गया जिसे तालिका क्रमांक 4 में स्पष्ट किया गया है –

तालिका क्रमांक–4

आरक्षण से परिवर्तन के लाभ का स्तर आरक्षण से परिवर्तन के लाभ का स्तर

क्रं.	आरक्षण से लाभ का स्तर			ग्राम	कुल योग आवषति प्रतिशत		
		छछानपैरी	दोदेखुर्द	अमसेना	टण्डवा		
		आवृति प्रतिशत		आवषति प्रतिशत		आवषति प्रतिशत	आवषति प्रतिशत
1.	पूर्णतः	–	–	012.12	011.22	020.67	
2.	बहुत हद तक		077.70	1215.00	036.39	067.32	289.33
3.	कुछ हद तक		8183.01	6378.75	4289.37	7389.02	25986.33
4.	परिवर्तन नहीं हुआ		033.30	056.25	012.12	022.44	113.67
योग			91100.00	80100.00	47100.00	82100.00	300100.00

तालिका क्रमांक 4 में आरक्षण से महिला प्रतिनिधियों में परिवर्तन का स्तर कैसा है, इसे ज्ञात किया गया। 86.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कुछ हद तक परिवर्तन आया है। 9.33 प्रतिशत ने कहा कि बहुत हद तक परिवर्तन आया है, 3.67 प्रतिशत की राय है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल 0.67 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्होने पूर्णतः परिवर्तन हुआ है, ऐसा स्वीकार किया।

तालिका से स्पष्ट हो रहा हैं कि केवल 10.00 प्रतिशत के लगभग ने महिला प्रतिनिधि जो आरक्षण से चयनित होकर आयीं हैं उनमें पूर्णतः व बहुत हद तक परिवर्तन को स्वीकार किया। अधिकांश ने कुछ हद तक परिवर्तन हुआ कहाँ अर्थात् महिला प्रतिनिधित्व तो बढ़ा किंतु महिला स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रही है या पुरूषों का हस्तक्षेप अभी भी बना हुआ है, ऐसा स्वीकार किया। कुछ ने तो महिला प्रतिनिधियों के किसी प्रकार का परितर्वन को पूरी तरह से नकार दिया।

निश्कर्षः– छत्तीसगढ के रायपुर जिले के 4 विकासखंड के एक–एक ग्राम की अनुसूचित जाति की महिलाओं के राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन किया गया। जिसमें पाया गया कि– 91.67 प्रतिशत महिला उत्तर दाताओं ने कहा कि राजनीति में महिलाओ की भागीदारी होनी चाहिए। केवल 8.33 प्रतिशत राजनीति में महिलाओ की भागीदारी के प्रति नकरात्मक रवैया रखती हैं। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण महिलाएं यह समझने लगी हैं कि राजनीति में उनकी भागीदारी से समूह व समाज में उनकी स्थिति

मजबूत होगी लेकिन जो राजनीति मे महिलाओ की भागीदारी को पसंद नही करती उनका कहना हैं कि राजनैतिक माहौल अच्छा नही होता एवं राजनीति पुरूषो का क्षेत्र हैं इसलिए महिलाएं केवल मतदान देने या चुनाव के समय ही थोडी सक्रिय रहे लेकिन हमेशा महिलाओ की राजनीति से जुडे रहना उचित नही हैं। अध्ययनरत ग्रामों में उत्तरदाताओं का 100 प्रतिशत मतदान का प्रयोग करना उनका मतदान के प्रति कर्तव्य को स्पष्ट करता हैं एवं मतदान के प्रति उनमें जागरूकता आयी हैं यह भी स्पष्ट होता हैं। 82. 67 उत्तरदाताओ के अनुसार आरक्षण के कारण पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं की राजनीति मे भागीदारी बढी हैं। पुरूषों का वर्चस्व कम हुआ हैं तथा महिलाओ को राजनीतिक पदों की प्राप्ति हुई हैं।

राजनीतिक जागरूकता का परीक्षण करने यह भी ज्ञात किया गया कि आरक्षण से परिवर्तन के लाभ का स्तर कितना हैं? 86.33 प्रतिशत उत्तर दाताओ के अनुसार कुछ हद तक परिवर्तन आया हैं। 9.33 ने बहुत हद तक एवं केवल कुछ लोगों ने ही पूर्णतः आरक्षण से परिवर्तन हुआ हैं यह स्वीकार किया हैं अर्थात महिला प्रतिनिधित्व तो बढा कि महिला स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर रही हैं या पुरूषो का हस्तक्षेप अभी भी बना हुआ हैं इस कारण कुछ हद तक परिवर्तन होना स्वीकार किया।

अंत मे निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि महिलाओं की राजनीति में सक्रियता बढ़ी हैं। वे अपने मताधिकार का प्रयोग स्वेच्छानुसार करने लगे हैं साथ ही महिलाओं को प्राप्त आरक्षण के कारण उनकी राजनीति में सहभागिता, सक्रियता एवं जागरूकता मे भी वषध्दि हुई हैं। पूर्णतः नहीं किंतु कुछ हद तक परिवर्तन अवश्य ही आया हैं यह अध्ययन से स्पष्ट हैं।

संदर्भ ग्रंथ

1. अनिता मोदी (2011) ; महिला सशक्तिकरण विविध आयाम, वाईकिंग बुक्स, जयपुर, पृ 63
2. हरि नारायण ठाकुर (2009) ; भारत में पिछड़ा वर्ग आंदोलन और परिवर्तन का नया समाजशास्त्र, कल्पज पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ75
3. प्रशासनिक प्रतिवेदन (2014-15) ; पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पृ105
4. नीरा देसाई एवं उषा ठक्कर (2008) ; अनुवाद सुभी धुसिया, भारतीय समाज में महिलाएँ , राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, पृ84
5. एल.पी.माथुर (2010) ; भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानी, अविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ. 2
6. धन पति पाण्डे एवं अशोक अनंत (1988) ; प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कषतिक इतिहास, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ40
7. वी.एन.सिंह एवं जनमेजय सिंह (2010) ; आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृ35
8. आलोक प्रकाश पुतुल (2003) ; संदर्भ छत्तीसगढ़, देशबंधु प्रकाशन विभाग, रायपुर, पृ145-170
9. प्रतियोगिता सारांश, छत्तीसगढ़ समग्र संदर्भ, 2014, पृ42-45
10. महेन्द्र कुमार मिश्रा (2009) ; भारतीय संविधान में आरक्षण एवं राजनीति, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, पृ.152
11. सुनील गोयल एवं संगीता गोयल (2003) ; भारतीय समाज में नारी, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयुपर, पृ.147

12. कमल, करमोलकर, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं, क्रियेटिव कम्प्यूटर, रायपुर (छ.ग.), पृ.74
13. राजेश शुक्ला (2006) ; ग्रामीण शक्ति संरचना एवं ग्राम विकास, वैभव प्रकाशन, रायपुर, पृ.211
14. अर्चना सिन्हा (2002) ; पंचायत के जरिये ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्ष, 48, अंक 2, दिसंबर, 2002, प९11
15. शैलेन्द्र पराशर (2014) ; ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना, जागरूकता का विकास, Sociological Quest Vol. II issue IV, Oct-Dec.2014, P-10
16. आशीष भट्ट (2001) ; म. प्र. में पंचायतों की कार्यवाही, कुरूक्षेत्र, वर्ष 47, अंक 2, नवंबर 2001, पृ.42
17. अनंत सदाशिव अल्तेकर (1959) ; प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, पृ.177